न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 71/2024 अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

कासीराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी केलनिया तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़। – प्रार्थी

बनाम

दारासिंह पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी कनवानी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ । –अप्रार्थी

उपस्थित:– श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील–प्रार्थी
श्री अर्जुनराम वर्मा वकील–अप्रार्थी

निर्णय दिनांक– 05-09.2024

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.05.2024 को विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये वकील पेश किया गया कि आराजी जरई रौही मौजा पल्लू के खसरा नं 725/284 की 3.3132 है., तहसील पल्लू की सायल व दावे में प्रतिवादी नम्बर 2 ता 11 के नाम की भूमि है तथा जमाबन्दी में दर्ज राजकुमार पुत्र संतलाल ने अपने हिस्से की भूमि 113/502 को जरीये बैयनामा दिनांक 27.03.2024 पंजियन दिनांक 07.05.2024 को गैरसायल को बैय कर दी लेकिन गैरसायल का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है उक्त भूमि पर कब्जा काश्त मात्र दावे में सायल व प्रतिवादी नम्बर 2 ता 11 का ही है। राजकुमार पुत्र संतलाल ने अपने हिस्से की भूमि गैरसायल को जरीये बैयनामा दिनांक 27.03.2024 पंजियन दिनांक 07.05.2024 को बैय कर दी लेकिन उक्त भूमि का कब्जा काश्त दावे में सायल व प्रतिवादी नम्बर 2 ता 11 के पास है गैरसायल के पास उक्त भूमि का कब्जा काश्त नहीं है और जब तक उक्त भूमि का खाता व लगान तकसीम नहीं हो जाता तब तक गैरसायल उक्त भूमि का कब्जा कारत प्राप्त नही कर सकता तथा इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने लार्जर बैंच द्वारा देवीलाल एण्ड देवशंकर आदि बनाम कमलाशंकर आदि में निर्णय दिनांक 21.11.1995 को भी आर. आर. डी. 1996 पेज नम्बर 148 में भी यह प्रतिपादित किया था कि अजनबी क्रेता जब तक खाता तकसीम नही करवा लेता तब तक मुश्तर्का कब्जा काश्त की भूमि में वह कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता। उक्त भूमि का कब्जा काश्त सायल व दावे में प्रतिवादी नम्बर 2 ता 11 के पास है तथा उक्त भूमि का खाता व लगान मुश्तर्का है जिससे सायल व गैरसायल व दावे में प्रतिवादी नं. 2 ता 11 के बीच कब्जा काश्त खाता व लगान को लेकर तनाजा रहता है जिससे सायल उक्त भूमि का खाता व लगान किस्म भूमि अच्छी मे से अच्छी व घटिया में से घटिया का तकसीम करवा अलग अलग खाता कायम करवा अलग अलग कब्जा [illegible] दावा है। उक्त भूमि का खाता व लगान मुश्तर्का है जिससे उत्साहित [illegible] गैर[illegible] उक्त भूमि का खाता तकसीम करवाये बिना ही अच्छी अच्छी [illegible] व कब्जा करने की ऐलानिया धमकी देता है अगर [illegible] अपने उक्त मकसद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.09 12:51:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

कामयाब होता है तो सायल को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी तरह सम्भव नहीं होगी तथा आईन्दा मुकदमेबाजी बढ़ेगी जिससे सायल गैरसायल के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। प्रथम दृष्टतः प्रकरण सुविधा का संतुलन प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त सायल के पक्ष में है। लिहाजा यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हल्फनामा सायल प्रस्तुत कर अर्ज है कि ताफैसला दावा गैरसायल के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जाये की वे आराजी जरई रौही मौजा पल्लू के खसरा नं 725⁄284 की 3.3132 है0, तहसील पल्लू का खाता तकसीम करवाये बिना उक्त भूमि पर कब्जा नहीं करे तथा सायल व दावे में प्रतिवादी नम्बर 2 ता 11 को उनके मुश्तर्का कब्जा काश्त से बेदखल ना करें तथा उक्त भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी पल्लू बहक कासीराम वगैरह, फोटोप्रति बैयनामा पेश किया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिये वकील श्री अर्जनलाल वर्मा उपस्थित आकर दिनांक 24.05.2024 को जबाब पेश किया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज तथ्य कि उपरोक्त अनवान का वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर. टी. एक्ट श्रीमानजी न्यायालय में पेश किया जाना स्वीकार हैं, शेष तथ्य गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार हैं। प्रार्थी ने असल तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर प्रार्थी काशीराम एवं दावे के प्रतिवादी संख्या 3 प्रहलादमान ने मिलकर एक दावा झूठे तथ्यों के आधार प्रहलादमान बनाम राजकुमार श्रीमान न्यायालय में दिनांक 20.03.2024 को पेश कर इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि बाबत स्थग्न जारी करवाया था. जिसकी अपील राजकुमार द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ में प्रकरण संख्या 92⁄2024 पेश की गई। जिस पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 06.05.2024 के द्वारा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थग्न आदेश प्रकरण संख्या 36⁄2024 बअनवानी प्रहलाद बनाम दोलतराम आदि में पारित आदेश दिनांक 20.03.2024 की पालना अपीलान्ट की हद तक अग्रीम आदेश तक स्थगित की गई थी, जिसके पश्चात राजकुमार श्रीमान न्यायालय में केवियट भी पेश की थी तथा राजकुमार के नाम की खातेदारी भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 27.03.2024 जो दिनांक 07.05.2024 को पंजीयन किया के जरिये मुझ अप्रार्थी ने क्रय कर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया था जिस पर में अप्रार्थी काबिज चला आ रहा हूँ। मैं अप्रार्थी खसरा संख्या 725⁄284 की 3.3132 है0 भूमि में से 113⁄502 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार हूँ, मुझ अप्रार्थी उतरदाता की खातेदारी कृषि भूमि पर प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थी ने प्रतिवा[illegible] के साथ मिलकर प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि बाबत माननीय न्यायालय [illegible] प्राधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.09 12:51:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश को छुपाकर न्यायालय में झुठा शपथ पत्र पेश कर राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा खारीज किये गये स्थग्न आदेश की भूमि पर पुनः एकपक्षिय स्थगन आदेश जारी करवाया है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावें एवं प्रार्थी काशीराम व प्रहलादमान के विरूद्ध न्यायालय में झुठा शपथ पत्र पेश करने बाबत मुकदमा दर्ज करवाया जावें।

प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज तथ्य कि खसरा संख्या 725/284 की 113/502 हिस्सा भूमि खातेदार राजकुमार द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 27.03.2024 जो दिनांक 07.05.2024 को पंजीयन किया गया के जरिये मुझ अप्रार्थी को बैय कर दी थी. स्वीकार हैं, शेष तथ्य गलत ब्यानी के कारण अस्वीकार हैं, जिसका जबाब पूर्व की मद में दिया जा चुका है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस प्रकार से लिखी गई हैं, स्वीकार नहीं है। राजकुमार पुत्र सन्तलाल ने अपने हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 27.03.2024 पंजीयन दिनांक 07.05.2024 को बैय कर कब्जा मुझ अप्रार्थी को सम्भला दिया था, जिस पर मैं अप्रार्थी काबिज चला आ रहा हूँ। मैं अप्रार्थी बैयनामा में वर्णित भूमि का खातेदार काश्तकार हूँ, इस कारण इस मद में वर्णित रूलिंग उपरोक्त अनवानी प्रकरण से भिन्न तथ्यों से होने के कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर लागू नहीं होती हैं। किसी भी खातेदार काश्तकार के विरूद्ध विधि अनुसार सहकाश्तकार स्थग्न आदेश नहीं करवा सकता। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पृथम दृष्टया खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 गलत एवं मनघड़त दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। रोही मौजा पल्लु के खसरा संख्या 725/284 की 3.3132 है0 भूमि में से 113/502 हिस्सा भूमि मुझ अप्रार्थी की जरिये बैयनामा खरीद शुदा भूमि हैं, जिस पर मैं अप्रार्थी काबिज चला आ रहा हूँ। इस कारण मुझ अप्रार्थी खातेदार काश्तकार के विरुद्ध प्रार्थी किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से लिखी गई हैं, स्वीकार नहीं हैं। मुझ अप्रार्थी खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो मुझ अप्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होगा एवं खातेदार काश्तकारों को मिलने वाली सहायता राशि से वंचित होना पड़ेगा जिससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा तथा अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी भरपाई किसी भी प्रकार के हर्जा खर्चा से सम्भव नहीं होगी। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया खारीज किये जाने योग्य हैं। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 जिस प्रकार से लिखी गई है, स्वीकार नहीं हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मुझ अप्रार्थी उतरदाता की सांझा खाता की कृषि भूमि हैं। जिस पर मैं अप्रार्थी उतरदाता काबिज चला आ रहा हूँ, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में न होकर मुझ अप्रार्थी [illegible] हैं। इस प्रकार जबाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज [illegible] जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.09 12:31:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

वकुलाए फरिकैन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में जबाब के तथ्यो दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रश्नगत भूमि सांझा खाता की कृषि भूमि है। जिसमें प्रार्थी अच्छी माड़ी के हिसाब से खाता विभाजन करवाना चाहता है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थी के कब्जा काश्त का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि लिये जाकर ही निर्धारित किया जाना है। यदि वादग्रस्त भूमि को स्थगन से मुक्त किया जाता है तो विवाद बढ़ने की संभावना रहेगी तथा को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना रहेगी परन्तु यदि वादग्रस्त संपति को वाद के निस्तारण तक जरिये स्थगन संरक्षित रखा जाता है तो मूलवाद के निस्तारण में सुविधा होगी तथा वाद विवाद बढ़ने की संभावना कम होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व साम्य न्याय का सिद्धान्त तथा अपूर्णीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्धारित किये जाते है। अतः उपरोक्त विवेचन आदि के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13.05.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कनफर्म किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 05.9.2024 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर,
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.09.09 12:31:28 IST
Reason: SelfAttested